**बिहार सरकार**
**स्वास्थ्य विभाग**

**अधिसूचना**

**सं0सं0–9/आ0–01–16/2023(स्वा0) ................................ /पटना, दिनांकः–...............................**

डॉ0 शादा खातुन उस्मानी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0पी0प्रोग्राम, भभुआ, कैमूर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना स0–340(2) दिनाक–03 05 1997 के अनुपालन में पी0पी0प्रोग्राम, कैमूर, भभुआ मे योगदान नही कर दिनांक–01.06 1997 से 24.08.1999 तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–1064(9) दिनाक–26 09 2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही सचालित की गयी।

**2.** संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में डॉ0 उस्मानी के विरूद्ध अनुबध मे गठित आरोप को प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। सचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) की छायाप्रति सलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–684(9) दिनाक–07.08 2024 द्वारा डॉ0 उस्मानी से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गयी।

**3.** डॉ0 उस्मानी द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित कर अवगत कराया गया है कि विभागीय अधिसूचना स0–340(2) दिनाक–03 05 1997 के अनुपालन मे सिविल सर्जन, सिवान के पत्रांक–507 दिनाक–17.05.1997 द्वारा डॉ0 उस्मानी को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु विरमित किया गया। योगदान करने हेतु जाने के दौरान वे अचानक सिढी से गिर जाने के कारण Head Trauma हुआ एव रीढ मे गभीर चोट आयी। चिकित्सक द्वारा बेड रेस्ट का सलाह दिये जाने के कारण वे सिविल सर्जन, कैमूर के समक्ष योगदान नही कर सकी। उनके द्वारा इसकी सूचना अपने परिजन के माध्यम से पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया था। स्वस्थ होने के उपरान्त उनके द्वारा सिविल सर्जन, भभुआ के समक्ष योगदान समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, भभुआ द्वारा दिनाक–27 08 1999 को अनुमण्डलीय अस्पताल, सिवान मे योगदान करने हेतु विरमित कर दिया गया।

**4.** विभागीय पत्रांक–1020(9) दिनांक–16 10 2024 के आलोक में सिविल सर्जन, कैमूर, भभुआ के पत्रांक–184 दिनांक–22.01 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 खातुन द्वारा अपनी अस्वस्थता के सबध मे अपने परिजन के माध्यम से सूचना दिया गया था।

**5.** अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डॉ0 उस्मानी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त पाया गया कि विभागीय अधिसूचना स0–424(2) दिनांक–24.08 1999 के अनुपालन में डॉ0 उस्मानी दिनाक– 28.08.1999 से कार्यरत थी। वे स्वयं की अस्वस्थता के कारण दिनांक–01.06.1997 से 24 08.1998 तक कर्त्तव्य पर अनुपस्थित रहीं हैं। अतएव उनके द्वारा समर्पित चिकित्सीय पर्ची के आलोक में आलोच्य अवधि को कार्य नही तो वेतन नहीं के आधार पर उनके अनुपस्थिति अवधि दिनाक–01 06 1997 से 24 08.1999 को असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करते हुए आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

**6.** अतएव डॉ0 शादा खातुन उस्मानी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0पी0प्रोग्राम, भभुआ,कैमूर के विरूद्ध विभागीय सकल्प स0–1064(9) दिनाक–26 09 2023 द्वारा सचालित विभागीय कार्यवाही को सचिकास्त करते हुए अनुपस्थिति अवधि (दिनाक–01 06.1997 से 24.08 1999 तक) को कार्य नही तो वेतन नही के आधार पर असाधारण अवकाश के रूप मे विनियमित किया जाता है।

**7.** इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**
**ह0/–**
**(उपेन्द्र राम)**
**सरकार के अवर सचिव।**

19/06/2025

(15)

**ज्ञापांकः–9/आ0–01–16/2023(स्वा0)** 679(9) / **पटना, दिनांकः–** 19.6.25

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) विहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भभुआ, कैमूर व पटना/कोषागार पदाधिकारी, भभुआ, कैमूर व पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, भभुआ व पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।।

**प्रतिलिपिः**–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐ, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– डॉ0 शादा खातुन उस्मानी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0पी0प्रोग्राम, भभुआ,कैमूर सम्प्रति क्षेत्रीय उप निदेशक (परिवार कल्याण एव एम0सी0एच0), पटना प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/06/2025
**सरकार के अवर सचिव।**